न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी, R.T.S.

मिसल नं. ::: 33/2020

सरकार बनाम मुकेश पुत्र कुमाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी– वार्ड नं. 18 सूरजगढ़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 30.07.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित, गैर सायल की ओर से उसका पुत्र उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मुकेश पुत्र कुमाराम, जाति–ब्राम्हण, निवासी–वार्ड नं. 18 सूरजगढ़ ने रोही मौजा सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 499 रकबा 1.04 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है0 पर तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित, गैर सायल की ओर से उसका पुत्र ऋषि उपस्थित। लेकिन कोई जवाब नोटिस पेश नही किया। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 17 पर वर्ष 2020-21 में रुपये 5/- कायम किए

राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़